FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

आज अदालत **न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)** मुकाम **जोधपुर**

कानाराम के कायम मुकाम व अन्य **बनाम्** भोले शंकर उर्फ भवानी शंकर व अन्य

किस्म मुकदमा – आदेश 09 नियम 04 सी.पी.सी. 1908

मुकदमा संख्या – C/28/2025 **जीसीएमएस नं** 2025/122

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.05.2025	प्रार्थीगण की ओर से एक विविध प्रार्थना पत्र आदेश 09 निमय 04 सी.पी.सी. 1908 प्रस्तुत किया। प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री वी.पी. नाहेलिया ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य को दोहराते हुए पूर्व निर्णित मूलवाद संख्या P/436/2023 अनवान् कानाराम के का0मु0 व अन्य बनाम् भोले शंकर उर्फ भवानी शंकर व अन्य अन्तर्गत धारा 88 व 188 राज0काश्त0अधि0 1955 (निर्णय दिनांक 22.04.2025) को रेस्टोर कर पुनः रिकॉर्ड में लिये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र दर्ज किया गया। राजस्व प्रार्थना पत्र की पत्रावली तलब की जाकर उसका अवलोकन करने से यह जाहिर होता हैं कि अप्रार्थीगण/मूल राजस्व वाद में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। अतः हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थीगण की तलबी की जाना आवश्यक नहीं हैं। अधिवक्ता प्रार्थीगण बहस हेतु तैयार हुए। बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मूल प्रार्थना पत्र के गुणावगुण पर निर्णयन हेतु न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 04 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर उपर्युक्त वर्णित मूल राजस्व प्रार्थना पत्र को पुनः उसी नम्बर पर रेस्टोर किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर	